

न्यायालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)

मण्डलेश्वर, दिनांक 17.08.2020

// सूचना //

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकट में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की द्वारा जारी सर्कुलर क्र. बी/3010, जबलपुर दिनांक 14.08.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्र./लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 17.08.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्र. डी/2377, दिनांक 27.06.2020, वयू/12 दिनांकित 04.05.2020, एवं अन्य सर्कुलरस एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 21.08.2020 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये विज्ञा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	17.08.2020	05.10.2020	07.09.2020
2.	19.08.2020	06.10.2020	08.09.2020
3.	20.08.2020	07.10.2020	09.09.2020
4.	21.08.2020	08.10.2020	10.09.2020

(बी.आर. पाटिल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

**न्यायालय :- श्री अरुण कुमार खरादी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म०प्र०)**

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश सर्कुलर क. बी/3010 जबलपुर, दिनांक 14.08.2020 एवं सर्कुलर क. डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 तथा सर्कुलर कमांक क्यू. 12 दिनांक 04.05.2020 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 21.08.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **17.08.2020 से 21.08.2020** तक **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	17.08.2020	16.10.2020
2.	18.08.2020	19.10.2020
3.	19.08.2020	20.10.2020
4.	20.08.2020	21.10.2020
5.	21.08.2020	22.10.2020



(अरुण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)
अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर

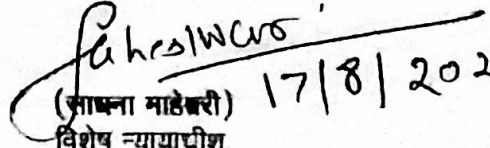
न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर.

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक B/3010 दिनांक 14-08-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों एवं जिला अभिभाषक संघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 के अनुसार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी सी के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण दिनांक 17.08.2020 से 21.08.2020 तक इस न्यायालय में लंबित (अंतिम तर्क, अभियुक्त कथन, बचाव साक्ष्य, आदेश एवं निर्णय अवस्था के प्रकरणों को छोड़कर) शेष दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांक को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	17.08.2020	22.09.2020
2.	18.08.2020 को अहिल्या उत्सव का स्थानीय अवकाश	—
3.	19.08.2020	23.09.2020
4.	20.08.2020	24.09.2020
5.	21.08.2020	25.09.2020

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हों।


(साधना माहेश्वरी) 17/8/2020
विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

**न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प0नि0
मण्डलेश्वर(म.प्र.)**

क 308 / 2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 17 08 2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सबध मे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क बी/3010 जबलपुर दिनांक 14.08.2020 के पालन मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश की निरंतरता की अवधि दिनांक 17.08.2020 से 21.08.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत सबधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से संबधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। साथ ही इस न्यायालय में अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत प्रकरण पूर्व से नियत दिनांक को विडियो कांफेसिंग द्वारा या लिखित तर्क पेश कर सुनवाई में लिये जा सकेंगे एवं शेष कार्यवाहियों से संबधित समस्त प्रकरणों में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

नियत आपराधिक प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	17.08.2020	12.10.2020
02	18.08.2020	13.10.2020
03	19.08.2020	14.10.2020
04	20.08.2020	15.10.2020
05	21.08.2020	16.10.2020

नियत सिविल प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	17.08.2020	22.09.2020
02	18.08.2020	23.09.2020
03	19.08.2020	24.09.2020
04	20.08.2020	25.09.2020
05	21.08.2020	28.09.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।


(प्रवीण हजारे)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर